2017 का विधेयक संख्यांक ।।५

[दि सेंट्रल रोड फंड (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

# केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017

**केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000**
**का और संशोधन**
**करने के लिए**
**विधेयक**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

बृहत शीर्षक का संशोधन ।

**2.** केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के बृहत शीर्षक में, "राष्ट्रीय राजमार्गों" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय जलमार्गों" शब्द रखे जाएंगे । 2000 का 54

धारा 2 का संशोधन ।

**3.** मूल अधिनियम की धारा 2 में,--

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(कक) "प्राधिकरण" से भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अभिप्रेत है ;'; 1985 का 82

(ii) खंड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(ड.क) "राष्ट्रीय जलमार्ग" से राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 की धारा 2 द्वारा घोषित अन्तर्देशीय जलमार्ग का राष्ट्रीय जलमार्ग होना अभिप्रेत है ;'। 2016 का 17

धारा 7 का संशोधन ।

**4.** मूल अधिनियम की धारा 7 में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iक) राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास और अनुरक्षण ;"।

धारा 9 का संशोधन ।

**5.** मूल अधिनियम की धारा 9 में,--

(अ) खंड (क) में "तथा एक्सप्रेस मार्गों" शब्दों के स्थान पर ",एक्सप्रेस मार्गों और राष्ट्रीय जलमार्गों" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (ख) में "राष्ट्रीय राजमार्गों" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय जलमार्गों" शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) खंड (ग) के उपखंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iक) राष्ट्रीय जलमार्ग ;" ।

धारा 10 का संशोधन ।

**6.** मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में,--

(अ) खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(viक) राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए ऐसी परियोजनाओं के लिए, जो प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जानी अपेक्षित हैं और अन्य परियोजनाओं के लिए भी निधियों के आबंटन के मानदंड निश्चित करना ;";

(आ) खंड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(viii) (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर उपकर के उनतालीस प्रतिशत का आबंटन ;

(ख) ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए उच्च गति डीजल और पेट्रोल

पर उपकर के साढ़े तैंतीस प्रतिशत का आबंटन ;

(ग) रेल सुरक्षा संकर्मों के लिए उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर उपकर के चौदह प्रतिशत का आबंटन, जिसके अंतर्गत ऐसे रेल-सड़क क्रासिंग पर, जहां कोई व्यक्ति तैनात नहीं है, सुरक्षा संकर्मों के पुल और परिनिर्माण के माध्यम से रेलपथ के नीचे या ऊपर सड़क, नई लाइनों का संनिर्माण, विद्यमान स्टैंडर्ड लाइनों का गेज लाइनों में संपरिवर्तन और रेल लाइनों का विद्युतीकरण भी है :

परंतु इस खंड के अधीन उपकर के आबंटन से कोई मरम्मत, अनुरक्षण या नवीकरण संकर्म नहीं किया जाएगा ;

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार अनुमोदित की जाने वाली अंतरराज्यिक और आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण पर उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर उपकर के दस प्रतिशत का आबंटन ;

(ङ) राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर उपकर के ढाई प्रतिशत का आबंटन ; और

(च) सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के विकास और अनुरक्षण पर उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर उपकर के एक प्रतिशत का आबंटन ।"।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवहन की लागत प्रभावी, आनुपातिक रूप से दक्ष और पर्यावरण अनुकूल पद्धति प्रदान करते हैं, जिसका अनुपूरक पद्धति के रूप में विकास, भीड़-भाड़ वाली सड़कों और रेलमार्गों से यातायात को मोड़ देने को समर्थ बना देगा । राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अधिनियमन से राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गई है । इससे राष्ट्र में राष्ट्रीय जलमार्गों के बेहतर विनियमन और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है । तथापि, बेहतर पोत परिवहन और वाणिज्यिक नौ परिवहन के लिए अवसंरचना, जैसे जेटी, टर्मिनल, नौ परिवहन चैनल आदि एक चुनौती बने हुए हैं । राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयुक्त विकास के लिए वित्त पोषण के वहनीय स्रोत की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि बजट सहायता और बहुपक्षीय संस्थाओं से निधियां अपर्याप्त हैं।

2. जलमार्गों के विकास के लिए वित्त पोषण का एक वहनीय स्रोत केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अधीन उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर उद्गृहीत और संगृहीत उपकर की कतिपय प्रतिशतता निश्चित करना है । उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर उपकर की विभिन्न प्रतिशतताओं के आबंटन को उक्त अधिनियम का संशोधन करके परिमेय बनाना प्रस्तावित है, जिससे राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर उपकर का ढाई प्रतिशत प्रदान किया जा सके । इससे उपकर के माध्यम से उत्पन्न निधि का उपयोग करके राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास को गति प्रदान की जाएगी । इसमें अंतर्देशीय जलमार्ग, परिवहन सेक्टर में निवेश करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रोत्साहनों और निश्चितताओं का प्रस्ताव भी है ।

3. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

**नई दिल्ली ;**
**12 जुलाई , 2017**

**नितिन गड़करी**

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 6 राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रखरखाव को गति प्रदान करने के लिए इस प्रकार उत्पन्न रकम का उपयोग करके उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर उद्ग्रहीत और संगृहीत उपकर कर के ढाई प्रतिशत के आबंटन से संबंधित है । उपकर के उद्ग्रहण की वर्तमान दरों पर राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष लगभग दो हजार करोड़ रुपए की रकम उपलब्ध होने का अनुमान है ।

2. संगृहीत उपकर की रकम का प्रशासन करने के लिए कुछ व्यय भी अंतर्वलित हैं । इस स्तर पर अंतर्वलित व्यय की मात्रा उपदर्शित करना संभव नहीं है । तथापि, इस प्रयोजन के लिए अंतर्वलित व्यय की पूर्ति पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा संसद् द्वारा प्रत्येक वर्ष के यथा अनुमोदित बजट उपबंध में से ही जाएगी ।

3. अत:, विधेयक के उपबंधों में अनावर्ती या आवर्ती प्रकृति का कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

# केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 54) से उद्धरण

[27 दिसम्बर, 2000]

**राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण तथा रेलक्रासिंगों पर सुरक्षा में सुधार के लिए 1988 में पारित संसद् के संकल्प द्वारा शासित विद्यमान केन्द्रीय सड़क निधि को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने और इन प्रयोजनों के लिए पेट्रोल के रूप में सामान्यतः ज्ञात मोटर स्पिरिट, उच्च गति डीजल तेल पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने और उससे संबंधित अन्य विषयों के लिए अधिनियम**

* * * * * *

**अध्याय 3**

## केन्द्रीय सड़क निधि का प्रबंध

निधि का प्रशासन करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

**9.** (1) केन्द्रीय सरकार को निधि का प्रशासन करने की शक्ति होगी और वह,–

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों तथा एक्सप्रेस मार्गों की परियोजनाओं में विनिधान के संबंध में, ऐसे विनिश्चय करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे;

(ख) ऐसे उपाय करेगी, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण तथा ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए निधियां जुटाने के लिए आवश्यक हों ;

* * * * * *

केन्द्रीय सरकार के कृत्य ।

**10.** (1) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी–

* * * * * *

(viii) (क) ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर साढ़े तैंतीस प्रतिशत उपकर का आबंटन ;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर साढ़े इकतालीस प्रतिशत उपकर का आबंटन ;

(ग) रेल सुरक्षा संक्रमों, जिनके अन्तर्गत रेल लाइन के नीचे या उसके ऊपर पुल बनाकर सड़क का संनिर्माण, मानव रहित रेल–सड़क क्रोसिंग पर सुरक्षा संक्रमों के संनिर्माण, नई लाइनों का संनिर्माण विद्यमान मानक लाइनों का गेज लाइनों में संपरिवर्तन और रेल लाइनों का विद्युतीकरण भी है, के उच्च गति डिजल और पेट्रोल पर चौदह प्रतिशत का उपकर का आबंटन :

परन्तु इस उपखंड के अधीन आबंटित उपकर से मरम्मत, अनुरक्षण या

नवीकरण का कोई कार्य नहीं किया जाएगा ;

(घ) अन्तरराज्यिक और आर्थिक महत्व की ऐसी राज्य सड़कें, जिन्हें उस रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए, के विकास और अनुरक्षण के लिए उच्च गति डिजल और पेट्रोल पर दस प्रतिशत उपकर का आबंटन ; और

(ङ) सीमा क्षेत्रों में सड़क का विकास अनुरक्षण के लिए उच्च गति डिजल और पेट्रोल पर एक प्रतिशत उपकर का आबंटन ;

* * * * * *

GMGIPMRND—1201LS(CRC)—19-7-2017.